

समाहर्णालय, दरभंगा

(जिला गोपनीय प्रशाखा)

**दिनांक 04.04.2016 को जिला स्तरीय पदाधिकारियों
की आयोजित साप्ताहिक बैठक में लिए गए निर्णय।**

क्र	लिए गए निर्णय का सारांश	सम्बद्ध पदाधिकारी
1.	<p>माननीय उच्च न्यायालय में दायर अवमानना वादों की प्रस्तुत सूची के अनुसार कुल 7 मामले हैं, जिनमें 5 मामलों में जबाव भेजा जाना है, इसे सुनिश्चित की जाय।</p> <p>एम0जे0सी0 हरदेव यादव बनाम राज्य के संबंध में प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा द्वारा बताया गया कि इस संबंध में जॉच प्रतिवेदन स्वास्थ्य विभाग को भेजा जा चुका है एवं विभाग के स्तर से ही इस मामले में कारण पृच्छा दाखिल किया जाना है। उन्हें निदेश दिया गया कि विभाग से इस संबंध में समन्वय कर लें।</p> <p>एम0जे0सी0 चौधरी नरेशचन्द्र राय बनाम राज्य, जो भू अतिक्रमण के विरुद्ध है। अंचलाधिकारी बेनीपुर के द्वारा अतिक्रमण हटवाया जा चुका है। अद्यतन स्थिति के अनुसार तथ्य विवरणी संशोधन करवाते हुए कारण पृच्छा दाखिल करवाने हेतु प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया।</p> <p>सी0डब्लू0जे0सी0 के अन्तर्गत आनन्द कुमार चौधरी बनाम राज्य एवं दिलीप गरई बनाम राज्य, जो भू-अर्जन से संबंधित है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को अग्रतर कार्रवाई करते हुए शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया।</p> <p>एम0जे0सी0 मनहर गोपाल बनाम राज्य, अतिक्रमण मामला से संबंधित है, जो समाहर्ता न्यायालय में निष्पादन प्रक्रिया के अन्तर्गत बतायी गयी।</p> <p>एम0जे0सी0 राम प्रसाद झा रमण बनाम राज्य का मामला, जिला स्थापना शाखा से संबंधित है। स्थापना उप समाहर्ता को अग्रतर कार्रवाई करते हुए शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करने का निदेश दिया गया।</p> <p>एम0जे0सी0 बलभेन्द्र मिश्रा बनाम राज्य का मामला अंचल अधिकारी, घनश्यामपुर से संबंधित है, जो भूमि विवाद का है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा इस संबंध में अंचल अधिकारी, घनश्यामपुर से समन्वय करते हुए शीघ्र कारण पृच्छा दाखिल करवाना सुनिश्चित करेंगे।</p> <p>एम0जे0सी0 राम बिहारी पासवान बनाम राज्य अंचलाधिकारी, कु0स्थान से संबंधित है। इस मामले में भी अविलंब कारणपृच्छा दाखिल किया जाना है। प्रभारी पदाधिकारी, जिला राजस्व शाखा अंचलाधिकारी, कु0स्थान से सम्पर्क कर कारणपृच्छा दाखिल करवाना सुनिश्चित करें।</p> <p>एम0जे0सी0 ज्योति राम बनाम राज्य का मामला कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल संख्या-2, झंझारपुर से संबंधित है। कार्यपालक अभियंता से इस संबंध में प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु समन्वय करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमण्डल, दरभंगा को दिया गया।</p> <p>जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि एम0जे0सी0 एवं सी0डब्लू0जे0सी0 के मामलों में निर्धारित समय सीमा के अन्दर कारणपृच्छा/प्रति शपथ पत्र दाखिल करना सुनिश्चित करें। ऐसे मामलों में कदापि विलंब न किया जाय।</p> <p>प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा को निदेश दिया गया कि एम0जे0सी0 मामलों की विवरणी बनाते समय उसमें यह अवश्य वर्णित करें कि यह एम0जे0सी0 किस सी0डब्लू0जे0सी0 के विरुद्ध दाखिल किया गया है एवं उस सी0डब्लू0जे0सी0 में माननीय उच्च न्यायालय का क्या आदेश है?</p>	<p>प्रभारी पदाधिकारी, जिला विधि शाखा एवं संबंधित पदाधिकारीगण</p>
2.	<p>कालाजार की रोकथाम हेतु डी0डी0टी0 छिड़काव का कार्यक्रम चल रहा है। राज्य स्तर से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार इस जिला में Missed area की संख्या 18 है, जिससे स्पष्ट होता है कि जिला स्तर से जिन पदाधिकारियों को कार्यक्रम का अनुश्रवण करना था, उन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया है। प्रखंडवार Missed area की सूची उपलब्ध कराने एवं संबंधित BHM एवं BCM के मार्च के वेतन से 10 प्रतिशत की कटौती करने का निदेश दिया गया।</p> <p>जिन प्रखंडों में छिड़काव की स्थिति खराब है, वहाँ के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र-क गठित कर भेजने का निदेश दिया गया।</p>	<p>सिविल सर्जन, दरभंगा/जिला मलेरिया पदाधिकारी</p>

3.	डी0एम0सी0एच0 में दो वर्ष पूर्व दो एक्स-रे मशीन खरीद की गई थी। मशीन की आपूर्ति एवेन्जर्स मेडिकल द्वारा की गई थी। उक्त कम्पनी को ही एक्स-रे मशीन स्थापित करना था एवं मशीन स्थापित किये जाने वाले कमरे में फॉल्स सिलिंग, फ्लोरिंग आदि का काम करवाना था। अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0 द्वारा बताया गया कि उक्त कम्पनी द्वारा एक मशीन अभी तक लगाया गया है लेकिन रेडियोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष ने कम्पनी द्वारा किये गये फल्स सिलिंग, फ्लोरिंग आदि के कार्यों को उपयुक्त नहीं पाया है, जिसके कारण अभी तक एक्स-रे मशीन कार्यरत नहीं हो सका है। इस संबंध में आपूर्तिकर्ता कम्पनी के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया कि वे अधीक्षक एवं विभागाध्यक्ष से समन्वय कर इस सप्ताह में एक्स-रे मशीन का संचालन सुनिश्चित करावें तथा दूसरे मशीन के लिए भी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। अगली बैठक में पूर्ण स्थिति से अवगत करावें।	अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0 / कम्पनी के प्रतिनिधि / विभागाध्यक्ष, रेडियोलॉजी
4.	डी0एम0सी0एच0 के स्टाफ क्वार्टरों को खाली करवाया जाना था। अधीक्षक द्वारा बताया गया कि सभी क्वार्टर खाली करवाये जा चुके हैं। उन्हें निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में विहित प्रक्रिया अपनाते हुए पूरी पारदर्शिता से क्वार्टरों का पुनरावंटन शीघ्र सुनिश्चित करें।	अधीक्षक, डी0एम0सी0एच0
5.	दिनांक 05.04.2016 को 11.00 बजे दिन में समाहरणालय परिसर में जिला स्तरीय सभी कार्यालयों के पदाधिकारी एवं कर्मियों को शराब न पीने के संबंध में संकल्प दिलाया जायेगा। इसी प्रकार का कार्यक्रम अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर भी किये जायेंगे। जिला स्तरीय सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने कर्मियों के साथ निर्धारित समय पर समाहरणालय परिसर में संकल्प लेने हेतु उपस्थित हो एवं उपलब्ध कराये गये संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर उसे जमा करावें। साथ ही अपने अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय कार्यालयों में भी उक्त संकल्प लिये जाने के संबंध में कार्रवाई सुनिश्चित करावें।	जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी
6.	जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की गत बैठक की कार्यवाही सभी संबंधित विभागों को भेज दी गयी है। जिला स्तरीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया कि उक्त कार्यवाही में अपने विभाग से संबंधित अनुपालन के बिन्दु का अनुपालन करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें। प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा को निदेशित किया गया कि वे अगली साप्ताहिक बैठक में कार्यवाही के अनुपालन के बिन्दु की विवरणी तैयार कर उपस्थापित करें ताकि विभागवार इसकी समीक्षा की जा सके।	जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, जिला विकास शाखा
7.	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि बालू की अनुपलब्धता के कारण दरभंगा बाईपास सड़क में बनने वाले पुल का कार्य रूका हुआ है। इस पथ में जमीन का भी कुछ विवाद है, जिसके कारण पुल का पहुँच पथ नहीं बन पा रहा है। इस पहुँच पथ में लगभग 25 रैयतों की जमीन है, जिसे लीज पर लेने हेतु प्रस्ताव विभाग को भेजा गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि इस संबंध में जिलाधिकारी, दरभंगा की ओर से भी विभाग को अनुरोध पत्र भेजना सुनिश्चित करें।	कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, दरभंगा
8.	ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में कार्यपालक अभियंताओं को निदेश दिया गया कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत बनाये गये पी0सी0सी0 सड़कों में पलैंक नहीं बनाये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसका अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया था, जो अद्यतन अप्राप्त है। सभी कार्यपालक अभियंताओं को पुनः निदेशित किया गया कि वे अनुपालन प्रतिवेदन अविलंब समर्पित करें।	सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता
9.	जिन पथों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा किया गया है, उन पथों का स्वामित्व कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग का है। सी0पी0डब्लू0डी0 को अगले पाँच साल तक इन पथों का रख-रखाव करना है। यदि सी0पी0डब्लू0डी0 द्वारा इन पथों का रख-रखाव नहीं किया जाता है तो सी0पी0डब्लू0डी0 एवं संबंधित संवेदक पर धारा-133 के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुरोध करें।	सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग
10.	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बताया गया कि उनके प्रमंडल अन्तर्गत कुल 11 स्थलों पर कार्य चल रहा है, जिसमें से 8 को पूर्ण कर लिया गया है, शेष 3 योजनाओं को इस सप्ताह में पूरा कर लिया जायेगा।	कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा
11.	शताब्दी नलकूप योजना अन्तर्गत लाभुकों को विमुक्त की जाने वाली राशि के संबंध में उप विकास आयुक्त द्वारा उठाये गये आपत्तियों का निराकरण करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दरभंगा को दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, दरभंगा

12.	स्वच्छ भारत अभियान के तहत चलाये जाने वाले विभिन्न गतिविधियों के संबंध में इस सप्ताह में आवश्यक कार्रवाई करने एवं कृत कार्रवाई से अवगत कराने का निदेश कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा को दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण प्रमंडल, दरभंगा
13.	जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सभी मदों में राशि की निकासी कर ली गयी है। उन्हें निदेश दिया गया कि मदवार राशि के वितरण हेतु कार्यक्रम तैयार कर 3 दिनों के अन्दर समर्पित करें।	जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा
14.	जिन प्रखंडों में पंचायत चुनाव का नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उन प्रखंडों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन वितरण प्रारंभ करवाने का निदेश सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को दिया गया। उन्हें डाटा डिजिटिजेशन के कार्यों में भी तेजी लाने का निदेश दिया गया।	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा
15.	उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि गत विधानसभा निर्वाचन का तीन विपत्र भुगतान हेतु लंबित है। इस मद में राशि उपलब्ध नहीं है। उन्हें निदेश दिया गया कि संबंधित मद में राशि की मांग विभाग से करें।	उप निर्वाचन पदाधिकारी
16.	दिग्धी तालाब का प्लान तैयार कर तीन दिनों के अन्दर समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण दरभंगा को दिया गया। योजनाओं के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रतिवेदन जिसे समर्पित नहीं किए जाने के कारण जो अर्द्ध सरकारी पत्र प्राप्त हुआ है, उसका अनुपालन प्रतिवेदन तैयार करने का निदेश भी उन्हें दिया गया।	र्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण दरभंगा
17.	समाहरणालय के पीछे जहाँ पार्किंग स्पेस है, वहाँ एक नाला है, उसके पक्कीकरण का प्राक्कलन तैयार कर समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण को दिया गया।	कार्यपालक अभियंता, शहरी विकास अभिकरण
18.	समाहरणालय भवन में बिजली की वायरिंग को अविलंब ठीक करने तथा खराब लैम्प पोस्टों को शीघ्र चालू करवाने का निदेश कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल, दरभंगा को दिया गया।	कार्यपालक अभियंता विद्युत कार्य प्रमंडल, दरभंगा
19.	समाहरणालय सभा भवन के उपरी मंजिल पर एक नया सभाभवन बनाने हेतु प्राक्कलन तैयार कर समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा को दिया गया। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि जिला अभिलेखागार के छत से होने वाले रिसाव को अविलंब ठीक करावें तथा जन शिकायत निवारण कार्यालय, जिसका संचालन पुराने भविष्य निधि कार्यालय से किया जाना है, की आवश्यक मरम्मत का कार्य कल से प्रारंभ करावें।	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, दरभंगा
20.	जिला अवर निबंधक को निदेशित किया गया कि नई प्रक्रिया के अनुसार निबंधन कार्य अविलंब प्रारंभ करावें और यदि इसमें किसी के द्वारा विरोध किया जाता है तो उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करावें।	जिला अवर निबंधक
21.	ईट भट्टा के संबंध में दर्ज कराये गये प्राथमिकी की प्रति प्राथमिकी संख्या के साथ उपलब्ध कराने का निदेश जिला खनन पदाधिकारी, दरभंगा को दिया गया।	जिला खनन पदाधिकारी, दरभंगा
22.	सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग को निदेश दिया गया कि एम0एस0डी0पी0 योजना का डी0सी0 बिल अविलंब जमा करा दें। उन्हें यह भी निदेशित किया गया कि स्वास्थ्य उपकेन्द्र एवं छात्रावास में विद्युतीकरण/जलापूर्ति के लिए दी गई राशि का कार्य अविलंब प्रारंभ कराते हुए पूर्ण करावें एवं कृत कार्रवाई से अवगत करावें। एम0एस0डी0पी0 योजना अन्तर्गत जिन योजनाओं के प्राक्कलन की मांग की गई थी, उसे शीघ्र समर्पित करने तथा लंबित योजनाओं का प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश कार्यपालक अभियंताओं को दिया गया।	सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग एवं कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग
23.	प्रत्येक माह के आखिरी कार्य दिवस को समाहरणालय सभाकक्ष में पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना है। सभी कार्यालय प्रधान को निदेशित किया गया कि उनके कार्यालय से उस माह में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के साथ पेंशन अदालत में अनिवार्य रूप से भाग लें और अपने साथ सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का पी0पी0ओ0 एवं उन्हें दिये जाने वाले सेवान्त लाभ का बैंक ड्राफ्ट तैयार करवा कर लावें ताकि उन्हें सम्मानपूर्वक सेवांत लाभ का भुगतान किया जा सके।	सभी कार्यालय प्रधान

05/04/16

जिलाधिकारी,
दरभंगा

ज्ञाप संख्या.....1238.../सी0, लहेरियासराय, दिनांक 05 अप्रिल, 2016.

प्रतिलिपि जिला स्तरीय सभी विभागीय/तकनीकी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, दरभंगा/बेनीपुर/बिरौल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, दरभंगा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/04/16

जिलाधिकारी
दरभंगा।

ज्ञाप संख्या.....1238.../सी0, लहेरियासराय, दिनांक 05 अप्रिल, 2016.

प्रतिलिपि आयुक्त, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

05/04/16

जिलाधिकारी
दरभंगा।